



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in


क्रमांक:—एफ—2(38)/रालसा/DS-I/463

दिनांक:— 5/8/2021

कार्यालय आदेश

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) के विनियम 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय हेतु देखरेख एवं परामर्शदात्री समिति (Monitoring and Mentoring Committee) का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है:—

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 3, जयपुर महानगर—द्वितीय
- श्री सत्यवान सिंह शेखावत, (R/1164/1997) (अधिवक्ता)




(ब्रजेन्द्र जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:—एफ—2(38)/रालसा/DS-I/12814-12820 दिनांक:— 5.8.2021

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
 2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
 3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
 4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर—द्वितीय को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति मनोनीत सदस्य अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 3, जयपुर महानगर—द्वितीय व श्री सत्यवान सिंह शेखावत, अधिवक्ता को उपलब्ध करावें।
 6. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
 7. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली/वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।



उप-सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर